SOUTH INDIAN Bank

अंचल कार्यालय: दिल्ली प्लॉट नं. 20 एवं 21/1, करोल बाग
मेट्रो स्टेशन के निकट, मेट्रो पिलर नं. 98 के सामने , पूसा रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005, फोन: 011–45128661
ईमेल: ro1008@sib.co.in, CIN: L65191KL1929PLC001017

[देख नियम 8(1)]

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **दि साउथ इण्डियन बैंक लि.,** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.04.2022 अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर ऋणधारक/गारंटर 1) श्री विकास अगरवाल, प्रॉप: मै. बंसल स्टील्स, 92/25/2, मुण्डका उद्योग नगर (दक्षिण दिशा) , नई दिल्ली–110041;साथ ही: 323, भेरा एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110087, 2) श्री अमित गुप्ता, बी–1/214, जी/एफ पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063, 3) श्रीमती क्षवि अगरवाल, 323, भेरा एन्क्लेव, पश्चिम विहार ,नई दिल्ली–110087, 4) सुश्री लतिका रानी, बी–1/214, जी/एफ पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063, 5) श्री परवीण कुमार गुप्ता, बी–1/214, जी/एफ पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि एड्रेसी सं. 1 से 5 के लिये रु. 5,87,99,572.96/– (रु. पाँच करोड़ सतासी लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ बहत्तर एवं पैसे छियानवे मात्र) तथा साथ ही एड्रेसी नं. 1 द्वारा डब्ल्यूसीटीएल (ईसीएलजीएस) लिमिटेड के संदर्भ में पुनर्भुगतान की राशि रु. 98,11,404.40 (रु. अन्ठानवे लाख ग्यारह हजार चार सौ एवं पैसे चालिस मात्र) 19.04.2022 को तथा आगे का ब्याज एवं लागत वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 30.07.2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 29.07.2022 को कुल बकाया राशि **रु. 7,07,21,500.78 (रु.सात करोड़ सात लाख इक्कीस हजार पाँच सौ अठहत्तर मात्र)** तथा उस पर लागतों के लिये **दि साउथ इंडियन बैंक** के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

विकास अगरवाल, पुत्र सूर्य कंवल अगरवाल के स्वामित्व में ग्राम मुण्डका, मुण्डका उद्योग विहार (दक्षिण), इंडस्ट्रियल एरिया, मुडंका नजफगढ़ जोन, दिल्ली–110041 के भीतर खसरा नं. 92/24/2 (1–14) एवं 92/25/2 (1–6) में स्थित भवन जिसका प्लिन्थ एरिया लगभग 27720 वर्ग फीट है, अन्य निर्माणों, सुधारों, ईजीमेंन्ट अधिकारों के साथ फ्री–होल्ड औद्योगिक सम्पत्ति माप 2 बीघा 20 बिस्वा (2555 वर्ग यार्ड्स) का सभी भाग हिस्सा जिसका विशेष रूप से विवरण एसआरओ–II, दिल्ली में पंजीकृत बिक्री प्रलेख सं. 676 तिथि: 31.01.2007 एवं बिक्री प्रलेख सं. 677 तिथि 31.01.2007 के अंतर्गत वर्णित है। चौहद्दी: उत्तर: अन्य सम्पत्ति, दक्षिण: अन्य सम्पत्ति, पूर्व: 35' चौड़ा रोड तथा पश्चिम: अन्य सम्पत्ति

(प्रतिभूति परिसम्पत्ति मै. अमरनाथ विश्वनाथ की खाता में स्वीकृत सीमाओं के लिये कॉमन प्रतिभूति है तथा बैंक को जब और जैसे वांछित हो उक्त सुविधा के विरुद्ध आगे कार्रवाई करने अधिकार है।

तिथि : 30.07.2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : दिल्ली **दि साउथ इंडियन बैंक**

SKN

एसकेएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: U74999DL1992PLC050472
पंजीकृत कार्यालय : 368/369, तीसरी मंजिल, बसंत बिल्डिंग, चौधरी मार्केट, सुल्तानपुर, नई दिल्ली–110030
ईमेल आईडी: info@sknindustries.in, फोन: 0124–4272107 वेबसाइट: www.sknindustries.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 06 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.30 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाही को निष्पादन करने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, परिपत्र संख्या 02/ 2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 05 मई, 2022 तथा सेबी के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से परिपत्रों के रूप में) के माध्यम से जारी की गई रूपरेखा के अनुसार आयोजित की जाएगी।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

मौजूदा कोविड–19 महामारी की स्थिति और भौतिक प्रतियों के प्रेषण में शामिल कठिनाइयों को देखते हुए, तथा एमसीए और सेबी द्वारा दिए गए अधिकार के अनुरूप, 30वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए (सामूहिक रूप से "वार्षिक रिपोर्ट" के रूप में संदर्भित) वित्तीय विवरण (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट या अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित इसके साथ संलग्न), सभी सदस्यों को केवल ईमेल के माध्यम से (29 जुलाई, 2022 की बेनेपोज रिपोर्ट के अनुसार) उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा और उसकी कोई भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.sknindustries.in और आरटीए वेबसाइट www.skylinerta.com पर भी उपलब्ध होगी। पुनः सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने और भाग लेने का प्रारूप के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

हम एसकेएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने अभी तक अपना सही ईमेल पता, पैन नंबर और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं किया है। कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके और अपने पैन कार्ड/आधार कार्ड/वैध पासपोर्ट/शेयर प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित प्रति के साथ अपना फोलियो नंबर/डीपी/क्लाइंट आईडी/प्रमाणपत्र संख्या उद्धृत करके इसे अपडेट करें।

सदस्य के ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

i) डीमैट रूप में शेयरधारक: कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीमैट रूप में रखने वाले सदस्य, कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर, समेकित खाता विवरण सहित अपना पैन कार्ड/आधार कार्ड/वैध पासपोर्ट की प्रति के साथ स्वयं सत्यापित प्रति info@sknindustries.in या grievances@skylinerta.com पर ईमेल करें।

ii) भौतिक रूप में शेयरधारक : कंपनी के इक्विटी शेयरों को भौतिक रूप में रखने वाले सदस्य, कृपया शेयरधारक का नाम ,फोलियो नंबर, शेयर प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे) पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति को info@sknindustries.in या services@skylinerta.com पर ईमेल से प्रदान करें।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित संकल्प पर वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है।

यह पुनः सूचित किया जाता है कि कंपनी ने प्रभावी तिथि 30.05.2022 से अपने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को बदल कर स्काई लाइन फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (स्काईलाइन) कर दिया है। शेयरधारक किसी भी मामलों की जानकारी के लिए डी–153 ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020, दूरभाष: 011–26812682–83, 40450193 से 97 पर स्काईलाइन से जुड़ सकते हैं।

कृते एसकेएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./–
सतीश चोपड़ा
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.08.2022

प्ररूप क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

इंटेंस फिटनेस एण्ड स्पा प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानाकर्षण के लिए

सुसंगत विशिष्टियां

1.	कार्पोरेट ऋणी का नाम	इंटेंस फिटनेस एण्ड स्पा प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट ऋणी के निगमन की तिथि	22.07.2009
3.	वह प्राधिकार, जिसके अधीन कार्पोरेट ऋणी निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज – दिल्ली
4.	कार्पोरेट पहचान संख्या/ कार्पोरेट ऋणी का सीमित दायित्व पहचान संख्यांक	U74900DL2009PTC192466
5.	कार्पोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	सी–2/10, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, मेन अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110016
6.	कार्पोरेट ऋणी की बाबत दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	02–08–2022 (03–08–2022 को प्राप्त)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने की प्राक्कलित तिथि	29–01–2023 (ऋण शोधन प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अन्तरिम समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	जगदीश सिंह नैन पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00187/2018-2019/12415
9.	अन्तरिम समाधान व्यावसायिक का, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता और ई–मेल	पता : 98, गंगोत्री अपार्टमेंट, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018 ई–मेल आईडी : jsnain@yahoo.com
10	अन्तरिम समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र–व्यवहार के लिए प्रयुक्त पता और ई–मेल	पता : 8/28, 3सरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 ई–मेल आईडी : cirp.intense@gmail.com
11	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तारीख	17–08–2022
12	अन्तरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा अभिनिश्चित धारा 21 की उप–धारा (6क) की खण्ड (ख) के अधीन लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हैं	अप्रयोज्य
13	किसी वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने के लिए अभिलक्षित दिवाला व्यावसायिकों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14	(क) सुसंगत प्रारूप और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे यहाँ उपलब्ध हैं :	(क) वेब लिंक : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (ख) **भौतिक पता** : 8/28, 3सरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

यह सूचना दी जाती है कि माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, पीठ ने इंटेंस फिटनेस एण्ड स्पा प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दिनांक 02.08.2022 (आदेश 03.08.2022 को प्राप्त) को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

इंटेंस फिटनेस एण्ड स्पा प्राइवेट लिमिटेड के सभी लेनदारों से अन्तरिम समाधान व्यावसायिक को प्रविष्टि सं. 10 के सामने उल्लिखित पते पर 17.08.2022 को अथवा उससे पूर्व सबूत सहित अपने दावे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय लेनदार सबूत सहित अपने दावे केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार सबूत सहित अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के मिथ्या या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर शास्तियां लागू होंगी।

जगदीश सिंह नैन
अंतरिम समाधान पेशेवर
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00187/2018-2019/12415
एएफए वैधता तिथि : 23.11.2022
आईबीबीआई पंजीकृत पता : 98 गंगोत्री अपार्टमेंट, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018
C/o: एवीएम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल एलएलपी
पता: 8/28, 3सरा तल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
ईमेल: cirp.intense@gmail.com, jsnain@yahoo.com

दिनांक: 03.08.2022
स्थान: नई दिल्ली

---

archies
The most special way to say you care

आर्चीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 191–एफ, सेक्टर–4
आई.एम.टी. मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा–122050
सीआईएन: L36999HR1990PLC041175
वेब: www.archiesonline.com और www.archiesinvestors.in
ईमेल: archies@archiesonline.com, दूरभाष: +91 124 4966666
फैक्स: +91 124 4966650

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 और 47 (1) (ए) के प्रावधानों के अनुसार आर्चीज लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 13 अगस्त, 2022 को अपराह्न 03:00 बजे, अन्य विषयों के साथ–साथ, 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही और तीन महीनों के लिए कंपनी के गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए आयोजित किया जाएगा।

इस संबंध में जानकारी कंपनी की वेबसाइट यानी www.archiesinvestors.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और www.nseindia-com पर भी उपलब्ध है।

कृते आर्चीज लिमिटेड
हस्ता/
हितेश कुमार
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 03.08.2022

ओरिएंट बेल लिमिटेड

सीआईएन: L14101UP1977PLC021546
पंजीकृत कार्यालय:–8, इंडस्ट्रियल एरिया, सिकंदराबाद– 203205, जिला–बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
कार्पोरेट कार्यालय :– आईरिस हाउस, 16, बिजनेस सेंटर, नंगल राया, नई दिल्ली– 110046
दूरभाष:– +91–11–47119100, ईमेल आईडी: Investor@orientbell.com
वेबसाइट: www.orientbell.com

शेयरधारकों को नोटिस

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित और यथा समय–समय पर संशोधित ("नियमन") निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस दिया जाता है।

यह नियमन, अन्य बातों के साथ–साथ, उन सभी शेयरों के हस्तांतरण का प्रावधान करता हैं जिनके लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) को लगातार सात वर्षों हेतु शेयरधारकों दावा नहीं किया गया है।

तदनुसार, उन शेयरधारकों को व्यक्तिगत संचार भेजा गया है जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2014–15 से लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है/दावा नहीं किया गया है और इस प्रकार जिनके शेयर उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर उक्त नियमों के तहत आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.orientbell.com पर अपलोड किया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए,ऐसे सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वर्ष 2014–15 से आगे के लिए गैर भुगतान किए गए लाभांश का दावा करने के लिए कंपनी/इसके रजिस्ट्रार को 18.08.2022 तक आवेदन करें ताकि उनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित न हों। कृपया ध्यान दें कि यदि कंपनी या रजिस्ट्रार द्वारा 18.08.2022 तक कोई दावा/आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी को उक्त नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके, बिना किसी अन्य सूचना के, आईईपीएफ को अंतर्निहित शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना होगा।

कृपया ध्यान दें कि भविष्य के सभी लाभ, ऐसे शेयरों पर होने वाले लाभांश को भी आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रावधानों पर विशेष ध्यान दें और सभी दावा रहित लाभांश का तुरंत दावा करें। यह भी नोट किया जा सकता है कि वर्तमान नियमों के अनुसार आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए शेयर को ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, को उक्त नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है।

इस विषय पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, सदस्य कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, यूनिट: ओरिएंट बेल लिमिटेड, एफ–65,पहली मंजिल,ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज– I, नई दिल्ली – 110020, दूरभाष नं. +91–11–41406149 ई–मेल: admin@mcsregistrars.com से संपर्क कर सकते हैं।

कृते ओरिएंट बेल लिमिटेड
हस्ता/
योगेश मेंदीरत्ता
कंपनी सचिव और कानूनी–प्रमुख

दिनांक: 03.08.2022
स्थान : नई दिल्ली

दक्षिण रेलवे

केंद्रीय कार्यशालाएं, गोल्डन रॉक, तिरुचिरापल्ली – 620004
अतिरिक्त प्रभाग
–निविदा सूचना संख्या
सीडब्ल्यू/सी/192/स्क्रैप संग्रह सीआरएस पिटलाइन/एसी–टीएलएस/सीआरएस और पीएस/जीओसी/2022–24
दिनांक: 29.07.2022

मुख्य कार्यशाला प्रबंधक, केंद्रीय कार्यशालाएं, गोल्डन रॉक, दक्षिण रेलवे, तिरुचिरापल्ली –620 004 द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए उनके लिए हमारे ई–निविदा पोर्टल www.ireps.gov में दिए गए निविदा नोटिस के अनुसार निम्नलिखित कार्य के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

केंद्रीय कार्यशालाएं, गोल्डन रॉक, सदर्न रेलवे, तिरुचिरापल्ली –620004–अतिरिक्त प्रभाग कार्यों के लिए ई–निविदा हेतु आवेदन करने के इच्छुक निविदाकारों / ठेकेदारों को ई–निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in में नामांकित होने की आवश्यकता है और केवल ऑनलाइन निविदा स्वीकार की जाएगी। ई–निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करना निविदाकार(कों)/ठेकेदार(कों) की जिम्मेदारी है।

कार्य का नाम और मात्रा: " सीआरएस पिटलाइन, एसी–टीएलएस सीआरएस और पीएस / जीआ. सी में निर्धारित क्षेत्रों / स्थानों में स्क्रैप संग्रह , स्क्रैप पृथक्करण, स्क्रैप निपटान और कार्य क्षेत्रों एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों की सफाई की आउटसोर्सिंग।

कुल क्षेत्रफल : 54,531 वर्गमीटर।"

ई–निविदा संख्या: सीडब्ल्यू/सी/192/स्क्रैप संग्रह सीआरएस पिटलाइन/एसी–टीएलएस/सीआरएस और पीएस/जीओसी/ 2022–24 दिनांक: 29.07.2022

कार्य का अनुमानित मूल्य: ₹3,24,95,070.28 जीएसटी @18% सहित (तीन करोड़ चौबीस लाख पंचानबे हजार सत्तर रुपये और अट्ठाईस पैसे मात्र)

निविदा प्रपत्र का मूल्य : ₹10,000/– (केवल दस हजार रुपये)

बोली सुरक्षा राशि: ₹3,12,500/– (तीन लाख बारह हजार पांच सौ रुपये मात्र)

अनुबंध की अवधि: 596 कार्य दिवस

निविदा समाप्ति की तिथि और समय: 29–08–2022 को 12.00 बजे

1. निविदाकर्ता का पंजीकृत होना आवश्यक है और निविदा भारतीय रेलवे ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम (आईआरईपीएस) साइट यानी www.ireps.gov.in पर ई–निविदा प्रणाली में भाग लेने के लिए जमा की जानी चाहिए।
2. उपरोक्त निविदा का पूरा विवरण और बोली जमा करने का विवरण ई–पोर्टल www.ireps.gov.in में दिया गया है।
3. उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से जारी निविदाओं के लिए ऑनलाइन बोलियों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है।
4. कोई मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है।
5. निविदा खुलने के बाद अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए कोई पोस्ट टेंडर पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 60 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
7. बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार रेलवे के पास सुरक्षित है।
8. अधिक जानकारी के लिए निविदा दस्तावेज में नियम एवं शर्तें देखी जा सकती हैं।

मुख्य कार्यशाला प्रबंधक/केंद्रीय कार्यशाला/गोल्डन रॉक के लिए
सहायक वर्क्स प्रबंधक/कैरिज

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली ई–निविदा सूचना सं. इज्जत/इलै./ओ.टी./16/2022, दिनांक 01-08-2022

निम्नलिखित कार्यों के लिये ई–निविदा भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल रेल प्रबन्धक/विद्युत/पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर द्वारा आमन्त्रित की जाती है:–

क्रम सं.–01, कार्य का नाम: इज्जतनगर मण्डल में लालकुआँ और टनकपुर में डब्लू.आर.पी. य काठगोदाम, लालकुआँ में मैकेनाईज्ड लान्ड्री के लिये एफुलेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की डिजाईन डेवेलपमेन्ट सप्लाई इन्स्टालेशन तथा कासगंज स्टेशन पर ए.आर.टी. के लिये एप्रोच रोड व फर्रूखाबाद प्लेटफार्म सं. 1 पर वाटर हाईड्रेन्ट के लिये ड्रेन कवर के निर्माण तथा काठगोदाम व रामनगर स्टेशनों पर वाटर ट्रीटमेन्ट/डब्लूआर.पी. के डिजाईन डेवेलपमेन्ट, सप्लाई, इन्स्टालेशन से सम्बन्धित विद्युतीय कार्य। **विवरण:** अनुमानित लागत: ₹ 17,44,774.04, धरोहर राशि रू.में: ₹ 34,900.00, निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.में: शून्य, ई–निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि व समय: 26-08-2022, 15:00 बजे तक, स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि: तीन माह।

• इस निविदा के लिये किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जायेगा। • पूर्ण विवरण वेबसाइट ***http://www.ireps.gov.in*** पर अपलोड कर दिया गया है। • निविदादाता के पास क्लास–III डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और IREPS पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। • केवल पंजीकृत निविदादाता ही ई–टेण्डरिंग में भाग ले सकते हैं। • सभी आवश्यक दस्तावेज ई–निविदा में भाग लेने के समय में अपलोड किये जाने चाहिये।

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (सा.)
मुजाधि/विद्युत–61 **इज्जतनगर**

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो. नं: 09794845965 पर एसएमएस करें।
ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें।

डच बैंक एजी

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत उक्त "अधिनियम" के रूप में) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

ऋणकर्तागण: 1. मैसर्स अमरनाथ विश्वनाथ, 2. श्री अमित गुप्ता, 3. लतिका रानी, 4. प्रवीण कुमार गुप्ता

(क) आवासीय संपत्ति बी–1/214, भूतल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 अधिमापन 200 वर्ग गज (छत/टेरेस अधिकारों के बिना) एक मेजानाइन कक्ष के साथ जिसका अधिमापन 45.83 वर्ग फुट लगभग है जो भू तल से प्रथम तल तक जानेवाली सीढ़ियों पर स्थित है और आगे खुला कोर्टयार्ड स्वामित्वधारक संपत्ति, जो इस प्रकार बटेड एवं बाउंडेड है: उत्तर– सड़क 30' चौड़ी, दक्षिण– सर्विस लेन 15' चौड़ी, पूर्व– संपत्ति सं. बी–1/215, पश्चिम– संपत्ति सं. बी–1/213 ("संपत्तियां")

संदर्भ: 1. संपत्ति खाता संख्या 300029587190019 के समक्ष ऋण रु. 1,31,00,000/– (रुपए एक करोड़ इकतीस लाख मात्र) की एक राशि हेतु। 2. जीईसीएल खाता संख्या 320029587190019 के समक्ष ऋण रु. 22,76,000/– (रुपए बाइस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की राशि हेतु।

(ख) जबकि डच बैंक एजी, जिसका एक व्यवसाय स्थल भू एवं 14वें तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001 (यहां इसमें इसके उपरांत "बैंक" के रूप में संदर्भित) में स्थित है, ने आप प्राप्तकर्ता को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण सुविधा को अन्य बातों के साथ–साथ अचल आवासीय संपत्ति पर बंधक के रूप में प्रतिभूत किया गया है, जो कि बी–1/214, भूतल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 अधिमापन 200 वर्ग गज (छत/टेरेस अधिकारों के बिना) एक मेजानाइन कक्ष के साथ जिसका अधिमापन 45.83 वर्ग फुट लगभग है जो भू तल से प्रथम तल तक जानेवाली सीढ़ियों पर स्थित है और आगे खुला कोर्टयार्ड स्वामित्वधारक संपत्ति (यहां इसमें इसके उपरांत "प्रतिभूत परिसंपत्तियों" के रूप में संदर्भित) की आवासीय संपत्ति वाली संपत्ति के अधिकार, हक और हित के रूप में है।

कि आप, प्राप्तकर्ता ऋण खाते में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे हैं और बैंक द्वारा बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत अनुरक्षित बही खातों के अनुसार, यहां दिनांक 13.07.2022 को बकाया मूलधन, बकायों (प्रोद्भूतकृत विलंब शुल्कों सहित) के माध्यम से रु. 1,40,04,388.44 (रुपए एक करोड़ चालीस लाख चार हजार तीन सौ अट्ठासी और चवालिस पैसे मात्र) की एक राशि तथा इसकी संपूर्ण प्राप्ति तक इस पर ब्याज का बकाया विद्यमान है।

उक्त बकाया देय राशि के अतिरिक्त, आप भविष्य में, तब तक जब तक कि संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता, देय ब्याज और दांडिक ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। आप प्राप्तकर्ता की ओर से लगातार चूक होते रहने के कारण, ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के तहत 07.05.2021 को बैंक द्वारा अनिष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

उपरोक्त चूक को ध्यान में रखते हुए, बैंक एतद्द्वारा आप प्राप्तकर्ता से इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 (साठ) दिनों के अंदर अद्यतन ब्याज, लागतों और शुल्कों सहित संपूर्ण बकाया देय राशि का भुगतान करके बैंक के प्रति नियत अपनी देनदारियों को पूरा करने का निर्देश देता है। ऐसा करने में विफल रहने पर, बैंक निम्नलिखित सभी अधिकारों अथवा इनमें से किसी एकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकारी होगा:

क) प्रतिभूत परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए पट्टे, असाइनमेंट अथवा बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण अधिकार का प्रयोग करने सहित प्रतिभूत परिसंपत्ति पर आधिपत्य ग्रहण करने का अधिकारी होगा।

ख) पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण और प्रतिभूत परिसंपत्ति प्राप्त करने के अधिकार सहित ऋणकर्ता की प्रतिभूत परिसंपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का अधिकारी होगा।

ग) प्रतिभूत परिसंपत्ति, जिस पर कि आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है, का प्रबंधन करने के लिए किसी भी व्यक्ति (यहां के उपरांत प्रबंधक के रूप में संदर्भित) को नियुक्त करने का अधिकारी होगा।

घ) किसी भी समय आवश्यक होने पर लिखित रूप में दी गई सूचना द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति उपार्जित कर चुके किसी भी व्यक्ति तथा जिसकी ओर से कोई धनराशि देय है अथवा आप प्राप्कर्ता को बैंक को प्रतिभूत